P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-4* December- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अनुसूचित जातियों में शिक्षा एवं मानव अधिकार के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण : म.प्र. के दमोह जिले के सन्दर्भ में एक अध्ययन

Sensitive Approach to Education and Human Rights Among Scheduled Castes: M.P. A Study in The Context Of Damoh District

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 26/12/2020, Date of Publication: 27/12/2020

जगदीश प्रसाद अहिरवार
सहा.प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय, पथरिया,
दमोह म0प्र0, भारत

आर. एस. त्रिपाठी
प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय,
बड़वारा, कटनी, म0प्र0, भारत

सारांश

शिक्षा में उन्नति से मानव अधिकारों में चेतना स्तर में वृद्धि होना स्वाभाविक है। समाज के निर्बल वर्ग की पीड़ा और अधिकार हनन को रोका जा सकता है। जब अनिवार्य शिक्षण प्रक्रिया में मानव अधिकार विषयक ज्ञान का विषयवार समावेश हो। दलित जातियों के प्रति अत्याचार रोकने हेतु संवेदनशील कदम हो। मध्यप्रदेश राज्य के केन्द्रीय भौगोलिक प्रदेश में जहाँ सामन्ती कृषि संरचना पहले से प्रभावी रही है। मानव अधिकारों के हनन को रोकना आवश्यक है। दमोह जिले में किये गये क्षेत्रीय कार्यों से अवलोकित परिणाम संकेत करते हैं कि निम्न साक्षरता दर जो कि अ.जा. वर्ग में धनीभूत रही है पिछड़ेपन और ग्रामीण दकियानूसी का संकेत है। दमोह जिले की साक्षरता में राज्य साक्षरता के आसपास है जबकि 19.5% जनसंख्या अ.जा. वर्ग की है। 2001 से 2011 के बीच 10% शिक्षा दर में वृद्धि हुयी थी। दमोह जिले की साक्षरता जबलपुर में शिक्षा स्तर वृद्धि इससे पीछे थी। गॉवों में छुआछूत, अस्पृश्यता कमतर होती जा रही है। 14% उत्तरदाताओं ने बताया कि अभी भी गॉवों में छुआछूत जैसी बुराई देखने को मिलती है। जातियों के बीच अभी भी अलगाव है कि वे निजी अवसरों पर दूसरे जातियों को भी बराबर बुलाते आ जाते रहते हैं 21% समर्थन। सर्वे में पाया गया कि गॉवों में सामाजिक मेल-जोड़न और व्यवहार में बदलाव दिखा है। सांस्कृतिक कार्य अभी भी जाति सीमित या कुनबे तक में है। सामाजिक स्तर पर संवेदनशील दृष्टिकोण के विकसित होने टेक्नालॉजी, संचार-साधन, मोबाइल और आधारभूत साधनों का बढ़ता उपयोग और लगभग अनिवार्यता की स्थिति है। मानव अधिकार संरक्षण, दलित परिवर्तन का सुरक्षित हथियार बन जायेगा गॉवों की युवा शिक्षितों के जरिये।

It is natural to increase the level of consciousness in human rights with the advancement in education. The suffering and rights violations of the weaker sections of society can be prevented. When there is subject wise inclusion of knowledge related to human rights in the compulsory education process. There should be a sensitive step to stop atrocities against Dalit castes. In the central geographical region of Madhya Pradesh state, where the feudal farming structure has been dominant already. It is necessary to stop human rights abuses. The observed results from the field work done in Damoh district indicate that the low literacy rate which is SC Has been rich in class. There is a sign of backwardness and rural ambivalence. The state in Damoh district is around literacy whereas the population of 19.5% belongs to SC population. There was an increase in the 10% education rate between 2001 and 2011. Education level rise in the more literate district of Damoh district like Jabalpur was behind this. Untouchability, are becoming less and less in the villages. 14% The respondents said that like untouchability is still seen in villages. There is still segregation among castes that they keep calling other castes equally on private occasions (21% Support). It was found in the survey that there has been a change in social interaction and behavior in the villages. Cultural work is still limited to the caste. The development of technology, communication tools, mobile and infrastructural use of sensitive approaches at the social level is a condition of increasing and almost imperative. Protection of human rights, Dalit will become a safe weapon of change through the young educated people of the villages.

मुख्य शब्द : असमान शिक्षा, इक्विटी, सामाजिक बहिष्कार, जातीय–श्रेष्ठता और मानव अधिकार, कलक शिक्षा छुआछूत, आर्थिक ।
Uneven Education, Equity, Social Exclusion, Ethnic-Superiority And Human Rights.

प्रस्तावना

भारत में मानव अधिकार नीतियों संबंधी क्रियान्वयन का प्रमुख क्षेत्र समाज में निर्बल वर्ग के संरक्षण और सुरक्षा का है, जिसमें संवैधानिक मौलिक अधिकार की रक्षा सर्वोपरि है। मानव अधिकार और शिक्षा में प्रगति परस्पर कारक एवं परिणामकारी हैं। इससे भेदभाव, छुआछूत और अत्याचार को रोकने के प्रयासों में सफलता मिली। भारत में 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार इसकी उपलब्धि और लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करने वाला कदम है। सूचना का अधिकार इसमें अगला कदम कह सकते हैं, जो दलित जातियों को समानता के दरवाजे तक ले जाता है। भोजन का अधिकार भी सन्निहित प्रावधान माना जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के संवेदनशील प्रयासों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। यह जानना है कि मानव अधिकार के प्रति उपेक्षा, हिंसा प्रेरित व्यवहार, दलितों के प्रति अत्याचार एवं जमीनी स्तर पर सामाजिक यथार्थ क्या उभर कर आता है ? शिक्षा की गतिशीलता और परिवर्तन के कारक किस प्रकार जुड़े है? आदि प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है।

साहित्यावलोकन एवं अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक स्तर के आंकड़ों पर आधारित है एवं अवलोकन परिणाम केंद्रित बनाया गया है। आकड़ों के लिये सर्वेक्षण एवं व्यक्तिगत सम्पर्क ग्रामों में जाकर किया गया जो म.प्र. के दमोह जिले में पूरा हुआ। दमोह जिले में अनुसूचित जाति वर्ग जनसंख्या में 19% तक 2011 जनगणना थी। यह जिला शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा रहा है ग्रामीण साक्षरता नगरीय साक्षरता से पीछे थी, क्षेत्र कार्य दमोह जिले की 5 ग्रामों का चयन कर दैव निदर्शन पद्धति से 300 परिवारों को लिया गया था। ग्राम मिश्रित परंतु अनुसूचित जाति बहुल जनसंख्या के लिए गए थे। साक्षात्कार विधि से अनुसूची सहित क्षेत्र कार्य में समय एवं बार–बार उत्तर दाताओं से संपर्क रखा जा रहा था। पूर्व में स्वतंत्रता के पहले तक सामंती परिवेश था। ग्रामीण व्यवस्था में पिछड़ापन मानसिक स्तर पर दिखाई पड़ता है। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति अपराध में नियंत्रण के उपायों का परिणाम सार्थक रहा है परन्तु मानव अधिकार संरक्षण हेतु जरूरी है। दमोह जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के भौगोलिक खंड में है जिले का औसत अनुसूचित जाति विरुद्ध अपराधों की स्थिति दूसरे जिले से लगभग बराबर थी। 2016 में प्रदेश के श्योपुर 56.75%, मुरैना 28.06%, भिंड 10.71%, दतिया 7.63% जिला की तुलना में कम दर्ज की गई थी। नीचे सारणी में अनुसूचित जाति तुलना सहित आंकड़े दिये गये हैं।

सारणी क्र.1.0 दमोह जिले में अनुसूचित जाति विरुद्ध अपराध–2018

विवरण	प्रतिशत वितरण
अ.जा. जनसंख्या	19.50%
अपराध (SC) के विरूद्ध	03.23% (2016)
दर्ज प्रकरण	01.72% (2014)
अ.ज.जा. विरूद्ध	05.73% (2013)
प्रकरण	**03.70% (2016)**
	03.23% (2014)
	00.00% (2013)

Source: CHRI- 2018, Human Rights Intitiatives,M.P.

दमोह जिले में वर्तमान 7 राजस्व तहसीलें अनुसूचित जाति जनसंख्या एवं शिक्षा स्तर के 2011 जनगणना आंकड़ों से विभेदक संकेत प्रकट करती है। दमोह ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता का स्तर राज्य औसत से कम था। नीचे सारणी में जानकारी से दृष्टव्य है।

सारणी क्र.2.0

जिला–दमोह	संख्या	प्रतिशत
अ.जा. जनसंख्या	2,46,337	19.49%
साक्षर (कुल)	7,47,715	69.30%
तहसील	**अ.जा. जनसंख्या**	**साक्षर (कुल)**
हटा	26,885	60,375
पटेरा	26,158	60,109
बटियागढ़	14,777	77,572
पथरिया	32,192	92,385
तेन्दुखेड़ा	19,108	72,296
दमोह	44,532	1,28,593
कुल	**2,48,337**	**7,47,715**

स्त्रोत : 2011, प्राथमिक जिला जनगणना पुस्तिका, पार्ट–B.DCHB, दमोह

सारणी क्र.3.0

साक्षरता दर एवं जिलों में अ.जा.जनसंख्या

कर्मकर	साक्षरता (%)		अ.जा. जनसंख्या (15%)	सामान्य साक्षरता (म.प्र.) 2011
	2011	2001		
दमोह	62.90	52.20	19.50	69.70
बालाघाट	83.10	76.90	7.70	77.10
मण्डला	86.90	76.30	4.60	66.90
बैतूल	77.20	74.60	10.60	68.90
जबलपुर	76.90	68.40	12.70	81.10
छिन्दवाड़ा	76.60	71.10	11.60	71.20

सिवनी	76.20	70.70	10.30	72.20
हरदा	73.50	66.30	16.10	72.50
इंदौर	72.60	63.10	15.80	80.90
भोपाल	72.60	61.10	14.00	80.40
सागर	72.10	60.40	20.50	76.50
डिण्डौरी	71.10	64.50	5.80	63.90
नरसिंहपुर	71.70	73.50	16.10	75.90
होशंगाबाद	71.70	65.30	15.80	75.30
भिण्ड	70.60	64.40	21.50	75.30
ग्वालियर	70.30	60.10	18.90	76.70
झाबुआ	68.80	68.20	1.70	43.30
दतिया	68.80	67.90	24.90	72.60
नीमच	68.70	61.90	12.50	70.80
कटनी	68.70	56.10	11.50	72.00
उमरिया	68.10	58.50	6.80	65.90
खण्डवा	67.80	62.00	12.40	66.40
अनूपपुर	67.20	57.70	7.30	69.60
रायसेन	67.20	67.10	26.40	73.60
मुरैना	66.80	59.10	21.10	71.00

2011 जनगणना में प्रदेश के 24 जिले अ.जा. साक्षरता में राज्य औसत से उपर थे, जबकि 26 जिले राज्य औसत से कम थे। बड़वानी, अलीराजपुर, टीकमगढ़, गुना, दमोह (62.90%), छतरपुर, सीधी, पन्ना (51.20%), शिवपुरी (54.90%), अशोकनगर (55%) जैसे कई बुंदेलखण्ड क्षेत्र में अ.जा. साक्षरता पीछे थी। मध्यप्रदेश में उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर, भिण्ड, मुरैना, सागर, अशोकनगर, सिहोर जिलों में कुल जनसंख्या का 20% से अधिक अ.जा. जनसंख्या निवास करती थी। मध्यप्रदेश के 50 जिलों में राज्य की औसत साक्षरता 69.30% से कम साक्षरता वाले जिलों की संख्या 27 थी और 23 जिले राज्य औसत से ऊपर थे जैसे–जबलपुर (81.10%), इंदौर (80.90%), भोपाल (80.40%), के उच्च साक्षर जिले थे, वहीं अलीराजपुर (36.10%), झाबुआ (43.30%), बड़वानी (49.10%) जैसे कम साक्षर जिले थे। दमोह जिला प्रदेश साक्षरता 69.30% (2011) से 69.70% का स्तर पाकर अन्य उच्च साक्षर जिले से 20% तक कम था। दमोह जिले में राज्य से तुलना पिछली जनगणना आकड़ों में देखी जा सकती है।

तुलना से स्पष्ट है कि –

सारणी क्र.4.0

राज्य औसत से साक्षरता की तुलना

जनगणना वर्ष	राज्य औसत साक्षरता	दमोह	जबलपुर	अलीराजपुर	झाबुआ
1991	44.70	46.30	64.60	15.90	21.40
2001	63.70	61.80	75.60	31.10	41.40
2011	69.30	69.70	81.10	36.10	43.00

शिक्षा के विकास की और तेज गति पकड़ना आवश्यक है। जबलपुर से दमोह पीछे तीनों जनगणना दौरान था। प्रदेश के उच्च आदिवासी जनसंख्या वाले जिले झाबुआ, अलीराजपुर साक्षरता में राज्य औसत से (69.30%) आधे उपलब्धि पर 2011 जनगणना तक आकड़ों के आधार पर पाये गये थे।

अनुभाविक विश्लेषण

अवधाणात्मक प्रस्तुति की दृष्टि से यह तथ्य उल्लेखनीय है कि बहिष्कार, भेदभाव, जातीय हिंसा का सामना भारत में निर्बल वर्ग करता है। गरीबी, निरक्षरता, निम्न जाति की पृष्ठभूमि, मानव अधिकार पालन को कमजोर करती रही है। पुलिस हिरासत में मौतें, पिटाई, मानव तस्करी, बालिकाओं का अपहरण जैसी खबरों का रोजाना प्रकाशन होता है जिसका होना चिंता का कारण है। अनेक विद्वानों ने इन स्थितियों की समीक्षा की है और प्रकाश डाला है कि भारत में निर्बल वर्ग के प्रति मानव अधिकार हनन पर रोक के उपाय कैसे लागू हो और वस्तुगत स्थितियों का भी मूल्यांकन किया गया है जो मानव अधिकार के समाजशास्त्र क्षेत्र में योगदान कहा जा सकता है। अमनेस्टी इंटरनेशनल–2005, ह्यूमन राइट्स वॉच, दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क आदि प्रमुख संस्थाये स्तर के लेखन एवं आंदोलन के सूत्रधार हैं जिसका शोध पिछले दो दशकों से सामने आया है। शोध कार्य की परंपरा में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ दलित स्टडीज के कार्यों को भी उल्लेख किया जाता है।

एंथोनी एम.जी. (2002) की पुस्तक "दलित राइट्स : लैंडमार्क जजमेंट ऑन एस.सी., एस.टी. बैकवर्ड क्लासेस" में संवैधानिक पक्षों की विवेचना की गई है। मानचंद खंडेला (2008) ने दलित अधिकार एवं व्यवहार शीर्षक पुस्तक में दलितों के प्रति दुर्व्यवहार का वर्णन किया है। प्रख्यात समाजशास्त्री ए. आर. देसाई (1986) की जन अधिकारों के हनन पर समाजशास्त्र की गंभीर कृति सामने आई। वास्तव में मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता, गैर दलित और दलित कहे जाने वाले दोनों वर्ग में आनी जरूरी है। पूरन मल (2007) ने 'अस्पृश्यता और दलित चेतना' में राजस्थान के परिपेक्ष में शोध कर कार्य का योगदान दिया। भारद्वाज (1987) की पुस्तक अस्पृश्यता और मानवता अछूत भेदभाव की सोचनीय ग्रामीण व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। ममता राजावत (2005) ने दलित विकास के मार्ग में बाधक अछूत व्यवहार पर प्रकाश डाला है। श्यामलाल (2004) ने दलित राजनीति में मानवाधिकार के प्रश्नों पर विमर्श किया है जो कानूनों के बावजूद ग्रामीण व्यवस्था में आज भी जारी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों से संदर्भ सहित प्राप्त होता है। समाचार पत्रों के प्रकाशन में दलित अत्याचार की घटनाएं रोज मिलती हैं जैसे अ.जा. वर्ग की सरपंच को पंचायत में नीचे बैठाते थे, कलेक्टर ने सचिव को हटाया, दलित दूल्हे के मंदिर प्रवेश पर बवाल, दलित दूल्हे का घोड़े पर बैठकर सवर्णों के दरवाजे से निकलना जैसे सामंती परिवेश के उत्पीड़न का उदाहरण पर्याप्त है दलित मानव अधिकार हनन की घटनाओं को सामने लाने का शिक्षा एवं मानव अधिकार के सम्बंध में विद्वतापूर्ण लेखों का प्रकाशन मिलता है अभिमन्यु कुमार (2012), सरवरी बेहरा (2015), प्रदीप चौहान (2012), प्रदीप कदम (2014), विग्नेश जे.कुमार (2014), लाजवंत सिंह (2015), साहबदीन (2015), टी.के.सेनापति (2014), श्रीधर बारकी (2014), अमृत कौर (2013), विजय बोवड़े (2017), उर्मिला जैन (2012) आदि विद्ववानों ने शिक्षा एवं मानव अधिकारों से सम्बंधित प्रमुख मुद्दों को अनुसूचित जातियों के सन्दर्भ में विश्लेषण कार्य किया है।

शिक्षा में समानता लाने का सार्थक प्रयास सिद्ध हो रहा है और शोधों के सर्वेक्षण से यह बात सामने आती है कि शिक्षा 'दलित परिवर्तन' का कारगर हथियार है जिससे मानव अधिकार संरक्षण किया जा सकता है। कुछ स्थितियॉ इसके विपरीत है जो दलित पुरुषों के सीवर सफाई में मरने, एवं शौचालय सफाई से गरिमा हनन, बारात निकालने, घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाना। प्रश्न है कि कहां है मानव अधिकार और इज्जत से जीने का अधिकार ?

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के साथ अनुकूलन एवं सामंजस्य बनाकर जीवन यापन करते हुए शान्तिपूर्वक अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं और यही आचार एवं व्यवहार का तरीका सदियों से पीढ़ी–दर–पीढ़ी चला आया है और वर्तमान में भी ऐसा ही व्यवहार एवं आचरण नई पीढ़ी द्वारा आत्मसात किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित सभी परिस्थितियों के कारण अनुसूचित जातियों के सबसे निचले स्तर की जातियों का विकास अवरूद्ध है। शासन, प्रशासन एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं द्वारा दिये जाने वाला लाभ या सहायता का उचित क्रियान्वयन न होने की स्थिति में ये उनसे वंचित है और सदैव निर्धन, आभावग्रस्त, अपमानित एवं पीड़ित है। आगे की सारणियों में ग्रामीण समाज में अनुसूचित जातियों के समक्ष मानवाधिकार सम्बंधित स्थितियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

सारणी क्रमांक 4.0

गाँव मे अस्पृश्यता की जानकारी

क्र.	अस्पृश्यता का आचरण	संख्या	प्रतिशत
1	'हाँ' होता है	42	14.00
2	'नहीं' होता है	181	60.00
3	कह नहीं सकते	77	26.00
	योग	300	100.00

सारणी क्र. 4.0 में गाँव में अस्पृश्यता के प्रचलन की स्थिति को दर्शाया गया है जिसमें 14 प्रतिशत सूचनादाताओं द्वारा यह स्वीकारा गया कि गाँव में अस्पृश्यता का प्रचलन है लोगों द्वारा जातिगत ऊँच–नीच एवं अस्पृश्यता का आचरण किया जाता है। गाँव के लोग बड़ी कठोरता से इसका पालन भी करते है। जबकि केवल 60 प्रतिशत सूचनादाताओं द्वारा सम्पूर्ण गाँव में अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किये जाने के सम्बंध में सूचना की गई है।

वर्तमान समय में अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी जातिगत पहचान कम प्रगट करने एवं सामाजिक जीवन में मेल जोल एवं व्यवहार करते समय विशेषरूप से स्वयं ही ध्यान देता है। तथा वह अपना पहनावा एवं तौर तरीका इस तरह प्रदर्शित करता है की मानों वह नीची जाति का नहीं है। अस्पृश्यता के आचरण के पीछे एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यह पहचान पर निर्भर करता है। ग्रामीण समाज में व्यक्ति की प्रस्थिति का मूल्यांकन उसकी जाति के आधार पर होता है। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति की जाति पूछी जाती है। इसके बाद ही एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार को आगे बढ़ाया जाता है। दूसरा तथ्य यह है कि पुरानी पीढ़ी द्वारा अर्थात् वृद्धों एवं महिलाओं द्वारा जातिगत अस्पृश्यता की स्थिति को ज्यादा ध्यान दिया जाता है जबकि युवा एवं पुरुषों द्वारा सीमित रूप से इसका पालन किया जाता है।

सारणी क्रमांक 5.0

अन्य जातियों के लोगों के साथ उठना–बैठना

क्र.	अन्य जातियों से सम्पर्क	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	63	21.00
2	नहीं	237	79.00
	योग	300	100.00

सारणी क्र.5.0 में अन्य जातियों के लोगों के साथ उठने–बैठने की स्थिति को दर्शाया गया है। अध्ययन में पाया गया कि 21 प्रतिशत सूचनादाता ऐसे रहे जो अन्य ऊँची जाति के लोगों के साथ उठना–बैठना किया करते है इनमें वे व्यक्ति आते है जिनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति अपनी जातिवालों से थोड़ा अच्छी होती है। जबकि 79 प्रतिशत सूचनादाताओं ने

बताया कि उनका उठना–बैठना ऊँची–जाति के व्यक्तियों के साथ नहीं होता।

अध्ययन में यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में नीची जाति के व्यक्तियों के साथ कमी ऊँची जाति वाले मादक पदार्थों के सेवन अर्थात् शराब आदि पीते है इस दौरान वे भिन्न जातियों द्वारा पैसा भी खर्च कराते है। जबकि कहीं–कहीं उच्च जाति वाले नीची जाति वाले को अपने सेवक के रूप में रखकर उनसे काम कराने के लिए अपने साथ रखते है एवं उनके साथ उठते–बैठते है।

अतः यह व्यवहार मादक पदार्थों के सन्दर्भ में एक समान प्रवृत्ति के लोगों के बीच होने वाला व्यवहार है इस तरह की मैत्री एवं व्यवहार प्रायः दो मादक पदार्थों के सेवन करने वालो के बीच में प्रायः बन जाया करता है।

सारणी क्रमांक 6.0
गाँव में सामाजिक मेल–जोल एवं बातचीत में अस्पृश्यता के व्यवहार का चलन

क्र.	अस्पृश्यता के व्यवहार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	42	14.00
2	नहीं	258	86.00
	योग	300	100.00

सारणी क्र.6.0 में सामाजिक मेल जोल में अस्पृश्यता के व्यवहार के चलन पर प्रकाश डाला गया है जिसमें पाया गया है कि अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक मेल–जोल एवं व्यवहार करते समय अस्पृश्यता के आचरण पर विशेष रूप से ध्यान भी दिया जाता है जिसकी पुष्टि 14 प्रतिशत सूचनादाताओं द्वारा की गई है जबकि 86 प्रतिशत सूचनादाता ऐसे भी रहे है जिन्होंने यह बताया की उनके साथ सामाजिक मेल जोल एवं व्यवहार करते समय जातिगत अस्पृश्यता के आचरण को ध्यान नहीं दिया गया।

अध्ययन में एक बात और स्पष्ट होती है कि अस्पृश्यता से संबंधित आचरण में प्रत्येक नीची जाति की यह जिम्मेदारी होती है कि वह सामाजिक व्यवहार करते समय कुछ निश्चित निषेधों का स्वयं ही अच्छी तरह से पालन करे यदि नीचे जाति वाला इस तरह के निषेधों का स्वयं ही पालन नहीं करता तो पता चलने पर उसे अपमानित या दण्डित किया जाता है।

इसलिए नीची जाति के परिवार द्वारा विशेषतः माता–पिता द्वारा सामाजिक जीवन में मेल जोल एवं व्यवहार के नियम बचपन से ही सामाजीकरण द्वारा अपने बच्चों को सिखा दिया जाता है। ताकि बड़ा होने पर उसे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न एवं अपमान का सामना न करना पड़े।

सारणी क्रमांक 7.0
ऊँची जातियों के समान आचरण करने पर अपमानित किये जाने की स्थिति

क्र.	अपमानित किया जाना	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	42	14.00
2	नहीं	118	39.00
3	कह नहीं सकते	140	46.00
	योग	300	100.00

सारणी क्र. 7.0 में उच्च जातियों के समान आचरण करने वस्त्र पहनने एवं भोजन करने आदि के कारण अपमानित किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया है।

अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लोगों के द्वारा ऊँची जाति वालों को निम्न जातियों द्वारा अच्छा पहनने, अच्छा भोजन करने एवं अच्छा आचरण करने के करण भी अपमानित किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र में 14 प्रतिशत सूचनादाताओं द्वारा यह स्पष्ट किया गया है उनके क्षेत्रों में इस तरह का व्यवहार किया जाता है वहीं 39 प्रतिशत सूचनादाताओं व उनके परिचितों के साथ ऐसा व्यवहार होते नहीं पाया गया इस तरह का व्यवहार परिस्थितिजन्य माना जाता है जिसमें व्यक्तियों के मध्य किसी बात को लेकर हुई चिड़ आदि के कारण ऊँची जाति के व्यक्ति नीची जाति के व्यक्ति के किसी भी तरह के व्यवहार में आपत्ति जताकर उन्हें अपमानित किये जाने का अवसर नहीं छोड़ते। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति कम दिखाई देती है। जबकि कुछ समय पूर्व इस तरह के अत्याचार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में हुआ करते थे।

सारणी क्रमांक 8.0
चाय–पान की दुकानों में भेदभाव की स्थिति

क्र.	भेदभाव/अस्पृश्यता बरतना	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	19	06.30
2	नहीं	171	57.00
3	कह नहीं सकते	110	36.60
	योग	300	100.00

सारणी क्र.8.0 में मुख्य अनुसूचित जातियों के साथ–साथ पान की दुकान में भेदभाव किये जाने की स्थिति, अध्ययन क्षेत्र में चयनित 6 प्रतिशत सूचनादाताओं द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके साथ चाय पानी की दुकान में अस्पृश्यता जनित भेदभाव किया जाता है।

प्रायः भेदभाव उस गाँव में होता है जिस गाँव का वह व्यक्ति होता है। ऐसा इसलिए होता है कि गाँव एक लघु समुदाय की तरह है यहां लोगों के मध्य सम्बंध प्राथमिक होते है, छोटा आकार होने के कारण लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत एवं पारिवारिक रूप से अच्छे से परिचित होते है। दुकानदारों का इस संदर्भ में यह मानना है कि हमारी दुकानों में यदि ये चाय या पान ग्रहण करें तो ऊँची जाति के ग्राहक हमारे यहां नहीं आएगें। क्योंक जब वे इन्हें छूना पसंद नहीं करते तो इनके जूठे हुए वर्तन में कैसे चाय पिएंगे। वहीं, इनके द्वारा दुकान की छाप भी बिगड़ जाएगी की यहां नीची जाति वाले चाय एवं पान ग्रहण करते है इस कारण उन्हें चाय–पान नहीं दिया जाता यदि देते हैं तो निश्चित नियमों के अनुसार।

अध्ययन में 57 प्रतिशत सूचनादाता ऐसे भी रहे है जिन्हें इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा जिसके लिए उस गाँव एवं उस व्यक्ति की अच्छी सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रस्थिति होती है। प्रायः भेदभाव गाँव के सभी दुकानदार न करके कुछ ही दुकानदारों द्वारा किया जाता है।

वर्तमान समय में परम्परागत व्यवसायिक, औद्योगीकरण एवं पूंजीवाद के प्रसार के कारण धीरे–धीरे समाप्त हो जा रहे है जिन्हें उच्च जातियों द्वारा वृहद स्तर पर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कोई भी काम क्यों न हो, इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के समक्ष आर्थिक संकट गहराते जा रहा है इनमें बेरोजगारों की संख्या तीव्रता से बढ़ रही है। कृषि भी वर्तमान समय में घाटे का धन्धा बनता जा रहा है। वही कृषि में साल भर काम नहीं मिलता है। जिसके कारण गाँव में रहने वाले इन लोगों की दिनों–दिन आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दैनीय होती जा रही है। ये जो भी काम करते है, उनसे प्राप्त होने वाली आय इतनी सीमित होती है कि वह इनके जीवन यापन हेतु भी पर्याप्त नहीं होती, ऐसी स्थिति में परिवार के सभी सदस्य जिनमें महिलाएं एवं बच्चे दोनों ही शामिल है काम किया करते है। जिससे बच्चों के शैक्षणिक विकास के अवसर सीमित होते चले जाते है हालांकि इनके बच्चे विद्यालय जाते है परन्तु परिवार की परिस्थितियों एवं निर्धनता से जूझते हुए इनकी शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण नहीं हो पाती क्योंकि परिवार का वातावरण शिक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं रह पाते जिसके लिए निर्धनता सबसे बड़े कारण के रूप में सामने आता है वहीं गाँव में कृषि मजदूरी और छोटे–मोटे कामों के अलावा वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता जिसके कारण भी गाँवों में अनुसूचित जातियों के बच्चों का शैक्षणिक विकास रूक जाया करता है क्योंकि माता–पिता चाहते है कि बच्चे जल्द से जल्द कमाने लगे ताकि परिवार की आर्थिक सहायता हो सके। जबकि शिक्षा प्राप्त कर नौकरी का मिलना या न मिलना स्पष्ट नहीं होता वहीं इनके बच्चों की भी रूचि शिक्षा के प्रति नहीं रह पाती जिसका निर्माण ग्रामीण परिस्थिति और पारिवारिक दशा करती है।

इस तरह ग्रामीण परिवेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का शिक्षा के प्रति रुझान नहीं बढ़ पाता महिला शिक्षा के संदर्भ में अनुसूचित जातियों की बालिकाओं की शिक्षा की ओर भी बुरी स्थिति दिखाई देती है। स्वयं ही माता–पिता द्वारा अपने घर की बालिकाओं की शिक्षा में भेदभाव है। लड़कियों से परिवार के कार्यों के अतिरिक्त खेतों में मजदूरी भी कराई जाती है। माता–पिता केवल बालिकाओं को उतना ही शिक्षित कर पाते है जितनी शिक्षा गाँव के विद्यालयों में उन्हें उपलब्ध होती है। अधिक पढ़ने की इच्छा होने पर और विद्यालय के दूसरे गाँव या अत्याधिक दूरी पर होने की स्थिति में उनकी पढ़ाई रुकवा दी जाती है।

बालिकाओं की शिक्षा के संदर्भ में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को गाँव में बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़ छाड़ एवं यौन शोषण से भी संबंधित समस्याओं का भय बना रहता है क्योंकि इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अत्यंत ही खराब होती है जिसका फायदा ऊँची जाति के लोग उठाते है और इन जातियों की लड़कियों के साथ छेड़–छाड़ एवं यौन शोषण बिना किसी भय के किया करते है। जिनसे भी क्षुब्ध होकर माता–पिता अपनी बालिकाओं को दूर पढ़ने नहीं भेजते और अधिक नहीं पढ़ाते।

इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए वे सुरक्षात्मक दृष्टि से अपनी लड़कियों का शीघ्र विवाह कर दिया करते है और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते है। अनुसूचित जाति परिवारों में यह समस्या बनी हुई है जिसके परिणामस्वरूप इनके बाद वाली पीढ़ी भी अधिक नहीं पढ़ पाती। हालांकि ये शिक्षा को अपने सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अवश्य मानती है किन्तु इन सभी परिस्थितियों के कारण वे अधिक शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पाते।

परन्तु जो अनुसूचित जाति परिवार आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम होते है तथा कुछ पढ़े लिखे होते है वे अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति कुछ जागरूक है। शिक्षा के प्रति जागरूकता की स्थिति अनुसूचित जाति परिवार की आर्थिक स्थिति से सीधा संबंधित है। इनमें अन्य की तुलना में अपने मौलिक अधिकारों के प्रति थोड़ी जागरूकता भी है।

सारणी क्रमांक 9.0
वर्तमान समय में शिक्षा को महत्वपूर्ण मानने की स्थिति

क्र.	शिक्षा काम महत्व	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	233	77.66
2	नहीं	67	22.34
	कुल	300	100.00

सारणी क्र. 9.0 में सूचनादाताओं द्वारा वर्तमान समय में शिक्षा को महत्वपूर्ण मानने की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें 77.66 प्रतिशत सूचनादाता शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते है, जबकि 22.34 प्रतिशत सूचनादाता शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं मानते। सूचनादाताओं की एक बड़ी संख्या द्वारा शिक्षा को महत्वपूर्ण तो माना गया परन्तु उन्होंने अपने समय में शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया तथा कुछ सूचनादाता ऐसे भी रहे है जो और आगे पढ़ना चाहते थे, परन्तु पढ़ नहीं सके।

सारणी क्रमांक 10.0
यदि 'हाँ' तो क्यों मानते है कारण

क्र.	कारण	संख्या	प्रतिशत
1	शिक्षा से ज्ञान, आत्मविश्वास एवं जागरूकता में वृद्धि होती है।	11	4.72
2	सामाजिक सम्मान एवं प्रस्थिति में वृद्धि होती है।	09	3.86
3	अच्छी नौकरी प्राप्त होने की संभावना होती है।	166	71.25
4	जीवन स्तर में सुधार एवं व्यवसाय स्थापित करने में सहायता होती है।	18	7.72
5	विवाह हेतु अच्छा घर एवं वर मिल जाता है।	29	12.45
	कुल	233	100.00

उपर्युक्त सारणी क्र.10.0 सूचनादाताओं से संबंधित है जो वर्तमान समय में शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते है। जिसके कारणों को सारणी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। सर्वाधिक 71.25 प्रतिशत सूचनादाता का मानना रहा कि यदि और पढ़ाई कर लेते तो अच्छी नौकरी पाने की संभावना होती। इस प्रकार 12.45 प्रतिशत सूचनादाता

यह मानते है कि उनके विवाह हेतु अच्छा घर एवं वर मिल सकता था जिससे उनका जीवन और सुखद एवं आनंदपूर्ण होता। 7.72 प्रतिशत सूचनादाताओं की यह सोच रही है कि उनका जीवन स्तर में सुधार हो सकता था एवं वे अपने अच्छे व्यवसाय करने में सक्षम होते। वहीं 4.72 प्रतिशत सूचनादाताओं का मानना है कि शिक्षा से ज्ञान, आत्मविश्वास एवं जागरूकता में वृद्धि होती है तथा सबसे कम 3.86 प्रतिशत सूचनादाताओं का मानना है कि शिक्षा से सामाजिक सम्मान एवं प्रस्थिति में वृद्धि होती है। अतः यह मत परिवार के मुखियों द्वारा व्यक्त किया गया जिन्होंने कुछ सीमित शिक्षा ग्रहण की थी जिन्हें वर्तमान समय में पछतावा है।

सारणी क्रमांक 11.0
और अधिक शिक्षा प्राप्त न करने के कारण

	कारण	संख्या	प्रतिशत
	परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होना	162	54.00
	आस–पड़ोस एवं गाँव से संबंधित सामाजिक समस्याओं के कारण	13	4.33
	शीघ्र विवाह एवं विवाह उपरांत जिम्मेदारियों का भार	19	6.33
	जातिगत एवं महिलाओं के साथ छेड़–छाड़ की समस्याओं के कारण	21	7.00
	विद्यालय एवं महाविद्यालय के दूर होने एवं आवागमन के साधनों का आभाव	16	5.34
	पारिवारिक कार्यों में अत्याधिक व्यस्तता के कारण	39	13.00
	परिवार द्वारा अध्ययन का विरोध/आपत्ति होने के कारण	13	4.33
	मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन का आभाव	07	2.33
	विद्यालय/शिक्षक/शिक्षण कार्य से संबंधित समस्याओं के कारण	05	1.67
	स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के कारण	05	1.67
	कुल	300	100.00

सारणी क्र. 11.0 में और अधिक शिक्षा प्राप्त न कर पाने के कारण को दर्शाया गया है। अध्ययन में पाया गया कि अनुसूचित जाति के चयनित सूचनादाता अध्ययन करना चाहते थे परन्तु उपरोक्त वर्णित कारणों से वे अपना अध्ययन आगे जारी नहीं रख सके जिसमें सर्वप्रथम 54 प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, इसके बाद क्रमशः 4.33 प्रतिशत को क्रमशः आस पड़ोस एवं गाँव से संबंधित सामाजिक समस्याओं के कारण तथा परिवार द्वारा अध्ययन का विरोध किये जाने के कारण, 6.33 प्रतिशत को शीघ्र विवाह होने एवं विवाह उपरांत जिम्मेदारियों का भार आ जाने के कारण, 7 प्रतिशत (महिला सूचनादाताओं से संबंधित) जातिगत एवं उनके साथ समस्याएं हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

दमोह जिले में क्षेत्रकार्य के आधार पर प्राप्त आकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि परम्परागत जाति व्यवस्था आधारित भेदभावों के रूढ़िग्रस्त परम्परा का दबाव कम हुआ है।

शिक्षा का प्रसार और आधुनिकीकरण की शक्तियां समानता लाने में सहायक सिद्ध हुई है इसके बावजूद संपूर्ण मानव अधिकार पालन अभी दूर की बात है। शिक्षा से गतिशीलता एवं ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति परिवारों को परिवर्तन का अनुभव हुआ है। विकास एवं रोजगार कार्यक्रमों का लाभ सामने है। सूचना के अधिकार एवं भोजन का अधिकार पर अधिक ध्यान देने से वातावरण में अस्पृश्यता के लक्षण कम हुए हैं और कानून उल्लंघन के प्रति भय पैदा हुआ है। जाति में 'तटस्थ गतिशीलता' आई है अर्थात भेदभाव और पवित्रता की भावना पर पिछले 5 दशकों में अंतर आया है। वस्तुतः लंबे समय से ग्रामीण सामाजिक ढांचा जाति संरचना पर टिका रहा है। निर्धनता भी जाति साँचे में पाई जाती है। निम्न जाति और शिक्षा, निर्धनता की अधिकता के बीच संबंध है। जाति आधारित सामाजिक दूरी का फासला है। इसे समाप्त करना है। जातियों के बीच ग्रामीण क्षेत्र में विभेदकारी प्रकोष्ठ जब बनते हैं जो चुनाव और राजनीतिक क्रियाओं के दौरान अधिक सक्रिय हो जाते है। मोटे तौर पर अस्पृश्यता का आंशिक भ्रमण भी है परंतु निम्न जातियां क्रमशः मध्यवर्ती जातियों के निकट हैं। यह ग्राम के जातीय भूगोल पर निर्भर करता है। संवैधानिक प्रावधानों का पालन और मानवाधिकार के प्रति संवेदनशील जागरूकता की आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक विकास में बाधक परिस्थितियों का अध्ययन करने पर जो तथ्य प्रकट हुए उनमें प्रमुख रूप से यह पाया गया की पीढ़ी–दर–पीढ़ी गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन, रुढ़िवाद, शोषण और अत्याचार से ग्रसित ये जातियां जो परम्परात्मक रूप से घृणित व्यवसायों में संलग्न रही है जिन्हें ग्रामीण परिवेश में सदैव ही दोयम स्तर का माना जाता रहा है जिनके प्रति छुआछूत की धारणा पवित्रता का पर्याय एवं धर्मआज्ञाओं के अनुरूप ही दैनिक जीवन के व्यवहारों एवं क्रियाओं के रूप में देखा जाता है। हालांकि आधुनिकता, नगरीकरण एवं लौककीकरण का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुआ है जिसने जातिगत भेदभाव की स्थिति को गतिशीलता में थोड़ी वृद्धि के परिणामस्वरूप सीमित किया है।

पुराने ग्रामीण मूल्यों का पतन, प्रथाओं, परम्पराओं का क्षीर्ण होता प्रभाव एवं धन के महत्व में आर्थिक क्रियाओं से लेकर सामाजिक सम्बंधों तक सभी को अनिवार्य रूप से कम या अधिक मात्रा में परिवर्तित किया है जिसका प्रभाव अनुसूचित जातियों पर भी पड़ा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *विजय बोवड़े, दलित महिलाएं एवं मानवाधिकार, हिन्दी बुक सेंटर, नई दिल्ली, 2017*
2. *उर्मिला जैन, मानव अधिकार और हम, हिन्दी बुक सेंटर, नई दिल्ली, 2012*

3. मानचन्द खण्डेला, दलित अधिकार एवं व्यवहार, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2008
4. अमेनेस्टी इण्टरनेशनल, India's unfinished agenda Equality and justice for 200 Million Victims of the Caste System, 5th October, Report-BBC, 2005
5. ए.आर.देशाई, वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स इन इण्डिया, पापुलर : बम्बई, 1986
6. पूरनमल, अस्पृश्यता एवं दलित चेतना, 1999
7. पूरनमल, दलित संघर्ष एवं सामाजिक न्याय, उदयपुर पोइन्टर पब्लिशर्स, 2000
8. भारद्वाज ए.एन., अस्पृश्यता और मानवता, किताबघर, नई दिल्ली, 1987
9. ममता राजावत, डेवलपमेंट ऑफ दलित्स, अनमोल पब्लिकेशन्स, जयपुर, नई दिल्ली, 2005
10. श्यामलाल, सामाजिक न्याय एवं दलित राजनीति, सबलाइम पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2004
11. ओमपाल कुमार कालावत, मानवाधिकार एवं दलित वर्ग, अप्रकाशित पीएच.डी. प्रबंध, गंगा सिंह, विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान), 2015
12. Abhimanyu Kumar, The study of social mobility among scheduled castes of block Modinagar in Ghaziabad district of Uttar Pradesh, India. Global advanced research journal Vol.1(3) : A comprehensive study of social mobility among scheduled caste of two blocks of Ghaziabad district of Uttar Pradesh India.Global journal of Arts and Humanities and Social Sciences, March 1(1) P.1-6, 2012
13. Amrit Kaur, Socio-economic mobility among scheduled caste : A study of Village Mugal Magari in Rupnagar district of Punjab, International Journal of human and Social Sciences invention Vol.4 (3), 2015
14. Anshika Srivastava, Dalit and social mobility : A discussion on the Dalit middle-class Asian journal of multi-disciplinary studies, 3 (2) February, 2015
15. Apparaya Shekhara, Socio-economic condition of scheduled caste study in kalaburagi district. Indian stream research journals, ISI RJ, Vol.4(5), 2015
16. Apparaya Shekhara Problem and challenges of scheduled caste women Patil N.H.empowerment is logical study of Gulbarga district. Indian stream research journal ISRJ Vol.4 No.8, 2014.
17. Behra, Sarbari, Status report of scheduled caste in higher education. Mahanirban Calcutta Research Group Kolkata, Vol.3 No.6, P.65-71, 2015
18. Bhatnagar Dinesh Kumar & Dwivedi Manish, Youth among the disadvantage classes. International Journal of scientific and Research Publication, Vol.3, No.2, 2013
19. Butool, Falak, Special dimension of Scheduled caste workers. Authors Press, New Delhi, 2011
20. Chandrashekhar T. & Ravi Babu M., Education status and its impact on development of scheduled caste : An overview International Journal of multi-dimensional research and development, Vol.2 No.1, P.356 to 360, 2015
21. Chauhan, Pradeep, Study on literacy and educational attainment of scheduled caste population in Malda district of West Bengal, Indian Journal of Geography and Regional Planning, Vol.6 No.1, P.19 to 30, 2012
22. Das, Subhash Chandra, Enrollment and academic achievement of scheduled caste in higher education of Assam, International Multi-disciplinary journal, Vol.2 No.3 P.27 to 33, 2013
23. Das, Suman & Hussain Akram, Socio-economic status of scheduled caste in Tripura : a case study of cobbler community International Journal of multidisciplinary research, Vol.1 No.1, P.19 to 23, 2015
24. Deka, Pallabi, A study of literacy pattern among the scheduled caste population in goalpara district Assam International Journal of scientific and Research publications Vol- 6 No.1 P.19 to 21, 2016
25. Dilip Kumar, Access of scheduled scheduled caste across Indian Higher Education : Issues and challenges. Journal of Gujarat research society. Vol.21(2), September, 2019
26. Dodamani, Panduranga, Problem and challenges of scheduled caste, 2014
27. Doddasiddaiah N. And Hiremath, Prof. S. L., Socio-economic profile of scheduled caste students in Secondary Education : A sociological study. Int.J. of Humanities and Social Sciences. Vol.2 No.11, page 36 to 39, 2013
28. Eerappa and Biradar Vijayalakshmi, University student in Karnataka : A case study of Koppal District research direction Journal Solapur , 413006, Maharashtra Vol.1 No. 9 P.128
29. Goswami Dr. Momita, Occupational structure of scheduled caste population in Brahmaputra Valley Assam a geographical Analysis, Global Institute for Research and Education, Vol.3, No.1 page 78 to 85, 2014
30. Hanchinamani, Bina B., Human Right abuse of Dalit in India Digital Commerce Vol.2, P.15,18-29, 2001
31. Jangir Dr. Kumar Sunil & Meghwal Bhagirath Lal, Reservation system and Dr. B.R. Ambedkar : A study And Cognitive Discourse, International Journal Vol.1 No.2, 2013
32. Kadun, Pradeep B. Gadkar & Prof.Ravindra D., Social Exclusion its type and impact on Dalits in India. Journal of Humanities and Social Science , (IOSR-JHSS) Vol.9 No.4, page 81 to 85, 2014
33. Kaur Amrit, Socio-economic mobility among schedule caste : A study of village Mughal Magri in Rupnagar district of Punjab. International Journal of Humanities and social science, Vol,4 No.41 P. 41 to 51, 2015
34. Kumar J.Vignesh, Rita S. Rajan, Socio-economic condition of scheduled caste workers and working in leather tanneries in Vellore district of Tamilnadu, IJER, @ serial Publications, Vol.II, P.797 to 811, 2014

35. *Kumar, Sunil, Implementation of Schedule Caste development program impact and status. Gagandeep Publication, Delhi, 2006*
36. *Lajwant Singh , Dr., Role of law in social economic and educational development of dalit women : a study from Western, UP, International Journal of Humanities, Social, Science and Education (IOSR-JHSS) Vol.2, No.5, P.118 – 125, 2015*
37. *M. Devendra Babu, Upliftment programs. Ashish Publicing House, New Delhi*
38. *Nirmala R. &Aannpurni R., Participation of socially expanded population as assessment of Indian states. Asian journal of multidisciplinary research , Vol.7(1), 2018*
39. *Padma Datta & D.B.Talukdar, Educational status of Schedule Caste and Scheduled Tribes female student in higher education : A study in applicated colleges under Dibrugarh University, Assam, Edutech, July Issues, 2020*
40. *Parul, Dispersity in higher education. The context of Scheduled castes in Indian society IMPACT, 2 (4).*
41. *Planning Commission report, The task group on development of Schedule Caste and Scheduled tribe GOI, 2014*
42. *Sahab Deen, Determinants of higher education for scheduled caste in Uttar Pradesh : A Socio-economic analysis Research journal of Social Science and Management, Vol. 5 (3), 2015*
43. *Sanjoy Roy & Amit Kumar, Educational aspirations, expectation among schedule caste students : A study of Uttar Pradesh, Indian Historical Archeology and Anthropology Sciences, Vol.3 (5), 2018*
44. *Senapati T.K., Human Rights and Dalits in India : A Sociological analysis, JRJSS, Vol.3 (3), 2014*
45. *Sridhar Barki, Untouchable (Dalits) and Human right in India. IJR Paripax, Vol.2(8) August, 2013*
46. *Tapan Das & T.Haldher, Causes of educational backward maths of scheduled caste women students at Higher Education level in West Bengal IJCRT Vol.6(1).*